हिन्दुस्तान

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 422/2023

डी.एल.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 के आधार पर राज्य के डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 387/2023 एवं पी0आर0 414/2023 के क्रम में सूचित किया जाता है कि राज्य के डी.एल.एड. कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023–25 में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची **दिनांक 02.12.2023 को** समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।

2. प्रथम चयन सूची के चयनित वैसे आवेदक, जिन्होंने 3,000/– रूपये की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन कराया था और जिन्होंने Slide Up विकल्प का प्रयोग नहीं किया था, उन्हें आवंटित संस्थान में अब कोई परिवर्तन नहीं होना है। अतएव वैसे आवेदक अपने वर्तमान आवंटित एवं नामांकन लिए संस्थान में **दिनांक 06.12.2023 तक** प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3. द्वितीय चयन सूची में उन आवेदकों का नाम सम्मिलित होगा, जिन्हें प्रथम चयन सूची में कोई संस्थान आवंटित नहीं हो पाया था **अथवा** जिन्होंने प्रथम चयन सूची के आधार पर निर्धारित अवधि में अपने आवंटित संस्थान में नामांकन कराया था और Slide Up विकल्प का प्रयोग किया था।

4. द्वितीय चयन सूची में सम्मिलित वैसे आवेदक, जिन्हें प्रथम चयन सूची में कोई संस्थान आवंटित नहीं हुआ था, वे **दिनांक 04.12.2023 से 06.12.2023** तक अपने आवंटित संस्थान में रु0 3,000/– की सुरक्षा राशि (Surety Money) जमा कर नामांकन कराएँगे। साथ ही यदि वे तृतीय चरण में उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प के संस्थान आवंटित होने की संभावना के मद्देनजर Slide Up के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसी अवधि में Slide Up के विकल्प का प्रयोग करेंगे। परंतु Slide Up का विकल्प तभी मान्य होगा जब वे अपने आवंटित संस्थान में नामांकन कराएँगे।

5. प्रथम चयन सूची में सम्मिलित रहे एवं नामांकित वैसे आवेदक जिन्हें Slide Up के आधार पर द्वितीय चयन सूची में उच्चतर प्राथमिकता के संस्थान का आवंटन हुआ है, वे पूर्व के संस्थान में लिए गये नामांकन से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने नव आवंटित संस्थान में **दिनांक 04.12.2023 से 06.12.2023** तक नामांकन कराएँगे। साथ ही यदि वे तृतीय चरण में उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प के संस्थान आवंटित होने की संभावना के मद्देनजर पुनः Slide Up के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसी अवधि में Slide Up के विकल्प का प्रयोग करेंगे। परंतु इस Slide Up का विकल्प तभी मान्य होगा जब वे अपने नव आवंटित संस्थान में नामांकन कराएँगे।

6. प्रथम चयन सूची में सम्मिलित रहे एवं नामांकित वैसे आवेदक जिन्हें Slide Up विकल्प के प्रयोग के बावजूद द्वितीय चयन सूची में नया संस्थान आवंटित नहीं हुआ है और यदि वे तृतीय चरण में उच्चतर प्राथमिकता के विकल्प के संस्थान आवंटित होने की संभावना के मद्देनजर पुनः Slide Up के विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वे **दिनांक 04.12.2023 से 06.12.2023 तक** की अवधि में Slide Up के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

7. जो आवेदक द्वितीय सूचना पत्र पर आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, वैसे आवेदकों का अभ्यर्थित्व अगले चरण के लिए समाप्त हो जाएगा। नामांकन नहीं लेने की स्थिति में उनका Slide Up का विकल्प भी मान्य नहीं होगा।

8. जिन आवेदकों का प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में किसी भी संस्थान में नामांकन हेतु चयन नहीं हुआ है, वैसे आवेदक, पोर्टल पर प्रदर्शित संस्थानवार उपलब्ध रिक्तियों का अवलोकन कर तृतीय चयन सूची में उनके चयन की संभावना के आलोक में, संस्थान के अपने विकल्पों में परिवर्तन कर सकते हैं अथवा नया विकल्प जोड़ सकते हैं, जिसकी निर्धारित **तिथि 08.12.2023** है।

9. Slide Up के आधार पर नया संस्थान आवंटन होने की स्थिति में आवेदक को पूर्व संस्थान में हुआ आवंटन रद्द हो जाएगा तथा आवेदक को नव आवंटित संस्थान में ही नामांकन लेना होगा।

10. डी0एल0एड0 कोर्स संचालित सभी संस्थानों के प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय पत्र एवं निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिन संस्थानों के द्वारा विभागीय पत्र एवं निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरती जाती है तो वैसे संस्थानों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

11. समिति की विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 387/2023 एवं पी0आर0 414/2023 में निर्धारित अन्य निर्देश एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)